

कार्यालय प्रधानाचार्य मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज ।

संख्या:संविदा पत्रा0/2026/3146

दिनांक / सितम्बर 2026

मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों, ट्रामा सेन्टर एवं सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल (PMSSY) प्रयागराज में संविदा के आधार पर सहायक-आचार्य, सह-आचार्य तथा आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित :-

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ के आदेश संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14.06.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वर्तमान में 200 सीट वृद्धि एवं पीओजीसीट संचालित किये जाने के दृष्टिगत मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज के विभिन्न विभागों एवं सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल (PMSSY) में रिक्त सहायक-आचार्य, सह-आचार्य तथा आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। निम्न रिक्त पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रधानाचार्य कार्यालय के प्राप्ति एवं प्रेषण (डाक अनुभाग) में अपना आवेदन पत्र बायोडाटा एवं समस्त शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण-पत्रों/शोध पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति/2फोटो के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 03.10.2026 (दिन शनिवार) को दिन में 1.00 बजे से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में वाक-ईन-इन्टरव्यू पद्धति से साक्षात्कार की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। शेष रिक्त पदों पर प्रत्येक शनिवार को (अवकाश दिवस को छोड़कर) साक्षात्कार आयोजित होते रहेंगे।

शासन द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में 100 बिन्दु रोस्टर एवं शासनादेश संख्या 5/2019/4/11/2000/क-2/2019/टी0सी0-1 दिनांक 13 अगस्त 2019 के आधार पर रिक्त पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया जा रहा है।

उक्त के क्रम में 100 बिन्दु रोस्टर के आधार पर पूर्व में विज्ञापित रिक्त पदों को भरे जाने के उपरान्त शेष बचे रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है- (क)

क्रम सं०	विशिष्टता का नाम	आचार्य (कैटेगरी)	सह-आचार्य (कैटेगरी)	सहायक-आचार्य (कैटेगरी)
1	आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलोजी		--	01 (SC) प्रवक्ता हेल्थ एजुकेशन 01 (UR)
3	एनाटमी	01(UR)	-	02(OBC), 01 (UR)
4	एनेस्थीसिया (बर्न यूनिट)	01(OBC)		01 (UR),
5	एनेस्थीसियोलॉजी (ICU)	01(UR)	01 (EWS)	
6	कम्युनिटी मेडिसिन	-	01(UR),	01 (SC), 01(OBC) ईपिडेमोलॉजिस्ट कम सहायक आचार्य 01 (UHC) (OBC)
7	काडियो-वैस्क्यूलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी (pmssy)	-	01 (EWS)	
8	जनरल मेडिसिन	-	01(OBC)	04(OBC)
9	फार्माकोलॉजी	-	01 (UR)	01(OBC)
10	फिजियोलोजी	----	-	01(SC)
11	बायोकेमेस्ट्री	-	01(SC)	01 (UR), 01(OBC), 01 (EWS)
12	सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलोजी	-	01(OBC)	-
13	माइक्रोबायोलोजी	-		01 (UR)
14	पीडियाट्रिक्स	-	-	01 (OBC)
योग		03	07	20

नोट-उपरोक्त दर्शाये गये पदों को तीन बार विज्ञापित किया जा चुका है। अतः उक्त पदों पर दर्शाये गये श्रेणी से भिन्न अर्ह अभ्यर्थी का भी चयन किया जा सकता है।

कोटि विवरण-(अनुसूचित जाति-(SC) अनारक्षित-(UR)अन्य पिछड़ा वर्ग-(OBC) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-(EWS)) संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं:-

1-शासनादेश संख्या: 119/2018/2842/71-2-2018-33/2018 दिनांक 20 सितम्बर 2018 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीओएमएसओएसवाई) के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के संचालन हेतु प्राविधानित सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य(कन्सलटेन्ट) के रूप में पुर्ननियोजित को एकमुश्त रू० 2,20,000 का मासिक पारिश्रमिक (remuneration) प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर 2018 के अनुसार होगी।

- 2-संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0 2,20,000/- सह आचार्यों का नियत वेतन रू0 1,60,000/- तथा सहायक आचार्य को नियत वेतन रू0 1,20,000/- प्रतिमाह है।
- 3-संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- 4-चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली 2018 में निहित व्यवस्था के अनुसार होगी एवं वर्तमान में NMC द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- 5-संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी।
- 6-चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- 7-साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा/शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और न ही लम्बित है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- 8- दर्शाये गये उच्च पद के अनुरूप अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में मरीजों के हित एवं छात्रों के पठन-पाठन के दृष्टिगत नियमित अथवा पद के अनुरूप अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक उच्च पद के सापेक्ष निम्न पद के उपलब्ध अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पदों को आवश्यकतानुसार भरे जा सकते हैं।
- 9- उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशक में ही निहित होगी।
- 10-संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- 11-उक्त चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त शेष बचे रिक्त पदों पर पुनः चयन हेतु इस कालेज के नोटिस बोर्ड/वेबसाईट <https://mlnmc.edu.in> पर विज्ञापित कर एक सप्ताह बाद आवश्यकतानुसार शनिवार को वाक-ईन-इन्टरव्यू पद्धति से साक्षात्कार की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
- 12- साक्षात्कार में भाग लेने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 13-पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।



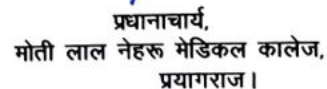
प्रधानाचार्य,
मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज,
प्रयागराज।

संख्या: संविदापत्रा0/2026/

उक्त दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
- 2-महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छठों तल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त रिक्त पदों का विज्ञापन अपने वेबसाईट <https://mlnmc.edu.in> पर उपलब्ध कराने की कृपा करें।
- 3- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
- 4-प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/ आगरा/ मेरठ/ झाँसी/ गोरखपुर/ अम्बेडकर नगर/ कन्नौज/ जालौन/ आजमगढ़, सहारनपुर/ बोंदा तथा बदायूँ।
- 5-प्रभारी अधिकारी, एम0सी0आई0/एन0एम0सी0मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
- 6-कालेज नोटिस बोर्ड।



प्रधानाचार्य,
मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज,
प्रयागराज।